अल्प संख्यक प्रकोष्ठ

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :

प्रश्न 1 : एनआईओएस क्या है ?

उत्तर : राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) एक शैक्षिक संगठन है। यह मुक्त और दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है और राष्ट्रीय बोर्डों जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) तथा भारतीय स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा परिषद (सीआईएससीई) के समकक्ष पूर्व-स्नातक स्तर तक के लिए परीक्षाएँ आयोजित करता है और प्रमाण पत्र जारी करता है ।

प्रश्न 2 : मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली क्या है ?

उत्तर : मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीईएल) प्रणाली , स्व-अध्ययन सामाग्री(एसएलएम) और शिक्षार्थियों की गति के आधार पर सुविधा जनक तरीके से शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की प्रवर्तनकारी संकल्पना है । इस माध्यम में,शिक्षार्थी को स्व-अध्ययन सामाग्री के अतिरिक्त पीसीपी और टीएमए के रूप में शैक्षिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है ।

प्रश्न 3: मुक्त विद्यालयी शिक्षा और नियमित विद्यालयी शिक्षा में क्या अंतर है ?

उत्तर : नियमित विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था एक नियत समय सारणी के साथ कक्षा प्रणाली की औपचारिक व्यवस्था में आमने-सामने की एक परंपरागत शिक्षा व्यवस्था है ; जबकि मुक्त विद्यालयी शिक्षा, शिक्षार्थी की स्व अध्ययन एक सुविधाजनक विधि से कराने और उसकी तैयारी के अनुसार मूल्यांकन की पद्धति है। मुक्त शिक्षा प्रणाली उन शिक्षार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो आर्थिक, सामाजिक या भौगोलिक कारणों से औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके या किसी प्रकार का रोजगार करने के साथ-साथ शिक्षा भी प्राप्त करना चाहते हैं ।

प्रश्न 4 : एनआईओएस शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से किसी अन्य संस्थान से किस प्रकार भिन्न है ?

उत्तर : एनआईओएस मुक्त या दूरस्थ माध्यम से शिक्षण की शिक्षार्थी केन्द्रित अवधारणा का अनुसरण करता है। यह किसी अन्य औपचारिक शिक्षा प्रणाली की तुलना में अधिक व्यापक स्तर पर शिक्षा के विषय उपलब्ध कराता है। शिक्षार्थी अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों के आधार पर विषयों के संयोजन का चयन करने के लिए स्वतंत्र है । शिक्षार्थी विशेष रूप से तैयार की गई स्व-अध्ययन सामग्री (एसएलएम) से अपनी गति के अनुसार अध्ययन करते हैं । शिक्षार्थी को ऑडियो-वीडियो सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। अवकाश के दिनों व सप्ताहंतों में अध्ययन केन्द्रो पर प्रत्यक्ष कक्षाएँ भी आयोजित की जाती है । शिक्षार्थियों को उनकी तैयारी के अनुसार उनके विषयों की परीक्षा में बैठने की स्वतन्त्रता होती है ।

प्रश्न 5: क्या एनआईओएस से प्राप्त माध्यमिक /उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र को वही मान्यता है जो अन्य बोर्डों को प्राप्त है ?

उत्तर : जी हाँ । एनआईओएस से प्राप्त माध्यमिक /उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र को वही मान्यता है जो अन्य बोर्डों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को प्राप्त है । एनआईओएस को दिनांक 14 सितंबर ,1990 को भारत सरकार के संकल्प के तहत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सार्वजनिक परीक्षाएँ आयोजित करने का प्राधिकार प्राप्त है । इसके अतिरिक्त

एनआईओएस सहित सभी बोर्ड चाहे वे राष्ट्रीय बोर्ड हों या राज्य बोर्ड , राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, 2005 का अनुसरण कर रहे हैं । अतः एनआईओएस के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के प्रमाण पत्र, अन्य बोर्डों के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के प्रमाण पत्र के समकक्ष और उनके समान हैं ।

प्रश्न 6 : अल्प संख्यक प्रकोष्ठ के अंतर्गत प्रत्यायन के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?

उत्तर : अल्प संख्यक प्रकोष्ठ के अंतर्गत प्रत्यायन के लिए अल्प संख्यक समुदाय जैसे - मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई और बौद्ध समुदाय से संबंध रखने वाले संस्थान आवेदन कर सकते हैं । इनमें मुस्लिम समुदाय के मदरसे भी शामिल हैं ।

प्रश्न 7 : क्या इसके अंतर्गत प्रत्यायन हेतु प्रोसेसिंग शुल्क माफ है ?

उत्तर : हाँ , एसपीक्यूईएम योजना के अंतर्गत मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त अथवा NCMEI से अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त मदरसों के लिए प्रोसेसिंग शुल्क माफ है। छूट का लाभ लेने किए मदरसों को यूडीआईएसई (UDISE)कोड़ संख्या देना होगा । अन्य सभी संस्थानों को प्रत्यायन प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा ।

प्रश्न 8 : एनआईओएस किन -किन कार्यक्रमों /पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्यायन देता है ?

उत्तर : एनआईओएस तीन प्रकार के कार्यक्रमों /पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्यायन देता हैं :

क . मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रमों - कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 तक है

ख . शैक्षिक पाठ्यक्रम - कक्षा 10वी , कक्षा 12वी के लिए है

ग . व्यावसायिक पाठ्यक्रम - व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए

प्रश्न 9 . प्रत्यायन हेतु आवश्यक जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ? इसकी प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर : प्रत्यायन हेतु आवश्यक सभी जानकारी वेबसाइट www.nios.ac.in पर उपलब्ध है । इस समय प्रत्यायन की प्रक्रिया ऑन-लाइन है ।

प्रश्न 10 . मदरसों या अल्पसंखक संस्थाओं में प्रवेश लेने की प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर : मदरसों या अल्प संख्यक संस्थाओं में प्रवेश लेने के इच्छुक शिक्षार्थी अपने शैक्षिक स्तर के अनुसार ऑन- लाइन प्रवेश ले सकते हैं ।

प्रश्न 11 . शैक्षिक पाठ्यक्रमों अथवा दसवीं /बारहवीं कक्षा का प्रत्यायन लेने के लिए कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं ?

उत्तर : शैक्षिक पाठ्यक्रमों अथवा दसवीं /बारहवीं कक्षा का प्रत्यायन लेने के लिए संस्था /मदरसे का किसी भी मान्यता प्राप्त राज्य शिक्षा बोर्ड /राज्य मदरसा बोर्ड से दसवीं अथवा बारहवीं स्तर तक मान्यता होना आवश्यक है । मदरसों में माध्यमिक,उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों के सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक साधन संसाधन जैसे- कक्षा-कक्ष, आधुनिक विषयों के प्रशिक्षित योग्य अध्यापक , प्रयोग हेतु विज्ञान प्रयोगशाला होना आवश्यक है। बाकी दस्तावेजों की जानकारी वैबसाइट पर उपलब्ध है ।

प्रश्न 12 . क्या किसी मदरसे को बिना मान्यता के भी शैक्षिक पाठ्यक्रमों (10^{th} & 12^{th}) के लिए प्रत्यायन दिया जा सकता है ?

उत्तर : हाँ , बड़े स्तर के मदरसे (दारुल उलूम) को बिना मान्यता के भी प्रत्यायन दिया जा सकता है । एनआईओएस के नियमानुसार मदरसे के पास आवश्यक साधन/संसाधन जैसे पर्याप्त शिक्षण कक्ष, आधुनिक विषयों के प्रशिक्षित अध्यापक आदि होना आवश्यक है ।

प्रश्न 13 : क्या मदरसों के द्वारा एनआईओएस पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले गैर-मुस्लिम शिक्षार्थियों (NON-MUSLIM CANDIDATES) को भी SPQEM योजना में फीस में छूट का प्रावधान है?

उत्तर : नहीं, SPQEM योजना केवल अल्पसंख्यकों के लिए है ।

प्रश्न 14 : ओबीई कार्यक्रम / व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रत्यायन के लिए क्या प्रावधान है ?

उत्तर : ओबीई कार्यक्रम / व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रत्यायन के लिए प्रक्रिया ऑन-लाइन है । व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रत्यायन के लिए संस्था /मदरसे के पास पाठ्यक्रमों के अनुरूप ही उपकरण ,कार्यशाला तथा शिक्षक होना जरूरी है ।

प्रश्न 15 : मदरसों में विज्ञान प्रयोगशाला न होने पर उन्हे प्रत्यायन केंद्र बनाने के क्या प्रावधान है ?

उत्तर : ऐसे मदरसे, किसी भी मान्यता प्राप्त, निकटतम विद्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) दें कि एनआईओएस के शिक्षार्थियों की प्रायोगिक कक्षा / परीक्षा उस विद्यालय में होंगी और विद्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी । ऐसा करने पर उनके मामले पर विचार किया जा सकता है ।

प्रश्न 16 : क्या प्रत्यायन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना होगा ?

उत्तर : हाँ, प्रत्यायन हेतु ऑन-लाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना मामला सबंधित क्षेत्रीय केंद्र को भेजना होगा , जिससे संस्था /मदरसे का भौतिक सत्यापन /निरीक्षण हो सके ।

प्रश्न 17 : एनआईओएस ने कितने मदरसा बोर्डों के पाठ्यक्रमों को अपने पाठ्यक्रमों के समकक्षता प्रदान की है ?

उत्तर : एनआईओएस ने निम्नलिखित पाँच मदरसा बोर्डों को अपने पाठ्यक्रमों के समकक्षता प्रदान की है :

(क) पश्चिमी बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड
(ख) छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड
(ग) मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड
(घ) उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड
(ड) बिहार राज्य मदरसा बोर्ड

प्रश्न 18: अन्य मदरसा बोर्ड एनआईओएस से समकक्षता के लिए क्या करें ?

उत्तर : अन्य मदरसा बोर्ड समकक्षता के लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ALL INDIAN UNIVERSITIES) में आवेदन कर सकतें हैं ।

प्रश्न 19 : क्या शिक्षार्थी उर्दू अथवा क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा दे सकता है ?

उत्तर : हाँ , शिक्षार्थी उर्दू अथवा अपने पसंद की भाषा में परीक्षा दे सकता है । प्रश्न पत्र हिन्दी , अँग्रेजी अथवा कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में ही उपलब्ध कराया जाता है, फिर भी शिक्षार्थी अपने उत्तर किसी भी भारतीय भाषा में दे सकता है ।

प्रश्न 20: क्या ओबीई कार्यक्रम / व्यावसायिक पाठ्यक्रम के प्रत्यायन के लिए मान्यता आवश्यक है ?

उत्तर : नहीं , ओबीई कार्यक्रम / व्यावसायिक पाठ्यक्रम के प्रत्यायन के लिए मान्यता आवश्यक नहीं है ।

प्रश्न 21 . क्या मदरसे में गैर-मुस्लिम शिक्षार्थी (NON-MUSLIM CANDIDATES) भी दाखिला ले सकते हैं ?

उत्तर : हाँ , मदरसे में गैर-मुस्लिम शिक्षार्थियों (NON-MUSLIM CANDIDATES) भी दाखिला ले सकते हैं ।

प्रश्न 22 . क्या 50 से कम दाखिले होने के कारण बंद हुए मदरसों को पुनः चालु किया जा सकता है ?

उत्तर : इस प्रकार के मदरसे/ संस्थान नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, प्रत्यायन सलाहकार समिति की संस्तुति पर उन्हे फिर से प्रत्यायन दिया जा सकता है ।

प्रश्न 23 : शैक्षिक पाठ्यक्रमो में प्रवेश लेने पर शिक्षार्थियों को अध्ययन सामग्री (पुस्तकें) कहाँ से प्राप्त होंगी ?

उत्तर : प्रवेश लेने के बाद अध्ययन सामग्री (पुस्तकें) डाक द्वारा शिक्षार्थी के घर पहुँचा दी जाती है । किसी कारण से पुस्तकें प्राप्त न होने की स्तिथि में एनआईओएस के एमपीडीडी अनुभाग,सीडबल्यूसी गोदाम परिसर, 4/बी ,जी॰ टी॰ करनाल रोड, स्टेट बैंक कॉलोनी के सामने, राणा प्रताप बाग, नई दिल्ली -110033 (दूरभाष संख्या 011-27416329) से भी प्राप्त की जा सकती है । विस्तृत जानकारी एनआईओएस की वेब साइट पर भी उपलब्ध है ।

प्रश्न 24 : एसपीक्यूईएम (SPQEM) योजना क्या है ?

उत्तर : केंद्र सरकार की यह योजना मदरसों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की / मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना है । इस योजना के अंतर्गत एनआईओएस के अध्ययन कैंद्र (मदरसों) के द्वारा पंजीकृत होने वाले मुस्लिम शिक्षार्थियों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है ।

प्रश्न 25 : क्या किसी मदरसे का शिक्षार्थी, एनआईओएस में माध्यमिक कक्षा में प्रवेश ले सकता है ?

उत्तर : जी हाँ , मदरसे में पढ़ने वाला शिक्षार्थी, स्व प्रमाण पत्र कि मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि "मैं माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम पढ़ने में समर्थ हूँ" , के आधार पर एनआईओएस में माध्यमिक कक्षा में प्रवेश ले सकता है।